

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous body under the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)
पो० ऑ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड)
P.O. New Forest, DEHRA DUN – 248 006 (Uttarakhand)



TENDER DOCUMENT No. 6-65/ F.Stat/ICFRE/2018-19/
Dated 08.06.2018

**“e TENDER FOR
CONSULTANCY ON BUSINESS PROCESS RE- ENGINEERING OF
ICFRE”**

Tender documents may be downloaded from ICFRE web site <http://icfre.gov.in> (for reference only) and CPPP site <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> as per the schedule given in tender critical date sheet.

CONTENTS

Sl.	Particulars	Page No.
1	Tender Schedule	3
2	Instructions	3
3	Scope of Work	3
4	Terms and Conditions	5
5	Terms of Reference	7
6	Payment terms	8
7	Disqualifications	9
8	Arbitration	9
9	Force majeure	10
10	Preparation and submission of Proposal	10
11	Proposal evaluation	11
Form 1	Particulars of the Consultant	12
Form 2	Format of Curriculum Vitae (C.V.) of proposed key staff	13
Form 3	Bid Proposal Sheet	14



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

1) TENDER SCHEDULE

Events	Important date/time	Venue
Published Date	08.06.2018: 4:00 PM	ICFRE website and CPP portal
Bid document download/ Sale start date	09.06.2018: 4:00 PM	Central Public Procurement Portal (CPPP)
Bid submission start date	09.06.2018: 4:00 PM	CPP portal
Bid submission end date	02.07.2018: 2:30 PM	CPP portal
Opening date of technical bids	03.07.2018: 3.00 PM	Online
Opening of Financial Bid	To be decided	Online

The Tender may be either modified or cancelled at the discretion of the Asstt. Director General (Admin), ICFRE without assigning any reason.

2) INSTRUCTIONS TO THE BIDDERS

The Indian Council of Forestry Research & Education (ICFRE), Dehradun, an autonomous council of the Ministry of Environment Forests and Climate Change, Govt. of India, invites e-tender from consultants (hereafter referred as 'Agencies') for consultancy on BUSINESS PROCESS RE ENGINEERING OF ICFRE.

1. The consultant will submit information as required for technical evaluation.
2. The consultant will deposit non-refundable Earnest Money Deposit (EMD) in the form of demand draft of Rs 10,000.00 (Rupees Ten Thousand only) drawn in the name of Account Officer, ICFRE, Dehradun payable at Dehradun.
3. The consultant will submit bid prices for providing consultancy as per the scope of work.

3) SCOPE OF WORK

The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) was established after reorganization of erstwhile FRI and Colleges in 1986. Subsequently, in 1991, ICFRE was declared as autonomous body registered as a society under the Societies Registration Act, 1860. It is an apex body at the national level and has been undertaking holistic development of forestry research through need based planning,


Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

promoting, conducting and coordinating research, education and extension covering all aspects of forestry. The Council deals with the solution based forestry research in tune with the emerging issues in the sector, including global concerns such as climate change, conservation of biological diversity, combating desertification and sustainable management and development of resources. To meet the research needs of different bio-geographical areas of the country, ICFRE has following nine research institutes & five Centres all over the country are as under:

Sl. No.	Institute	Centre
1.	Forest Research Institute, Dehradun (UK)	CSFRE, Allahabad (UP)
2.	Tropical Forest Research Institute, Jabalpur (MP)	CFRHRD, Chhindwara
3.	Rain Forest Research Institute, Jorhat (Assam)	CFLE, Tripura & ARCBR, Aizawl
4.	Arid Forest Research Institute, Jodhpur (Rajasthan)	
5.	Institute of Wood Science & Technology, Bangalore	
6.	Institute of Forest Genetic & Tree Breeding, Coimbatore	
7.	Himalayan Forest Research Institute, Shimla (HP)	
8.	Institute of Forest Productivity, Ranchi	
9.	Institute of Forest Biodiversity, Hyderabad	WBC, Vishakhapatnam

As per under Rule-208 under General Financial Rules-2005 (GFR-2005), a system of external or peer review of the autonomous organization every three or five years depending on the nature of activities should be put on place, with a structured focus. In compliance of the instructions contained in GFR , ICFRE got carried out its performance review through IIM Kashipur during the year 2016-17. Keeping in view the recommendations of IIM Kashipur ,the MoEF & CC New Delhi instructed to get the Business Re-engineering of ICFRE to make itself sustainable.

The Business Process Reengineering study will involve analysis of the existing workflows and process within and between organizations/units/ departments/ sections of ICFRE. It will be carried out for ICFRE (Head Quarter) and associated nine research institutes and five regional centres. The broad scope of work will consist of providing the following deliverables:

- a) Analyze and design/ redesign workflow within/between organizations/departments of the council to improve productivity, quality and agility of core and support process.


 Asstt. Director General (Adm.)
 Indian Council of Forest
 Research & Education
 P.O. New Forest, Dehradun

- b) Preparation of a roadmap to make ICFRE as a self-sustainable over a period, through various interventions like restructuring and re-engineering.

4) TERMS AND CONDITIONS

Definitions

In these conditions and in the contract, unless a contrary intention appears:

"Client" means the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)

"Consultant" means the person referred to as "the Consultant" in the Memorandum of Agreement.

"Memorandum of Agreement" means the Agreement executed by and between the client and the consultant in which these conditions have been incorporated by reference.

"Contract" means the Memorandum of Agreement together with these conditions and all other schedule and documents, if any, annexed to the Memorandum of Agreement or incorporated therein and intended to form part of the contractual relationship between parties.

"Services" means the duties of the consultant designated as "the Services" in the Memorandum of Agreement.

"Term of Assignment" means the schedule of duties referred to as "the Terms of Reference" in the Memorandum of Agreement.

"Project" means the project so named in the Memorandum of Agreement.


"Term of Engagement" means the period referred to as "the Terms of Engagement" in the Memorandum of Agreement.

A. SPECIFIC TERMS & CONDITIONS

Online tender is to be submitted under two bid systems i.e. **Cover 1, and Cover 2**. All the pages of bid being submitted online must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

The offers submitted by Fax/email/offline shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter. The bidder will also keep note that:-


- i) Acceptance of the bid shall be communicated to the successful bidder by a formal letter of acceptance.
- ii) The successful bidder shall be required to sign a Contract on a stamp paper of Rs. 100/- to be furnished by them within 10 (ten) days of receiving communication regarding acceptance of the bid.
- iii) The successful bidder shall submit a certificate of acceptance within 10 (ten) days of the date of award of the contract.


Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

- iv) In case of a discrepancy in the quoted prices the price written in words will be taken as valid. .
- v) Short-listing of a bidders do not confer any rights on any bidder, it only means that the offer made is under consideration.
- vi) While submitting the bid, the bidder shall be deemed to have read, understood and accepted all the terms and conditions stated in this Tender Document.
- vii) The bidder shall indicate the complete address of the organisation / Office and work along with the name(s) of the contact person(s) and his(their) telephone / Fax / Mobile Nos.(s) and other particulars as per the Proforma at **Form 3**.
- viii) The bidder along with the financial bid shall furnish a certificate that the quoted prices are full and final and every thing has been included in financial bid. The financial proposal should include all overhead expenses and taxes as per the rules of the land.
- ix) The offer shall be valid for at least six month from the date of opening of the tender.
- x) The Director General, ICFRE will constitute a Contract Review Committee (CRC) to review the progress of the work of consultant.
- xi) Consultant will submit a detailed plan along with the deliverables before the start of consultancy.
- xii) Conditional Tenders are liable to be rejected.
- xiii) In case of any dispute, the Director General, ICFRE shall decide the issue and his decision shall be final and binding on the parties.

B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- i) During the term of engagement, the consultant project team shall devote the whole of their time and attention to the performance of the services and shall at all times act with due diligence and efficiency and in accordance with the Terms of Reference.
- ii) At all times, the consultant shall act with appropriate propriety and discretion and in particular shall refrain from making any public statement concerning the Project or the Services without the prior approval of the Client and shall refrain from engaging in any political activity.
- iii) Except with the written consent of the ICFRE , the consultant will not divulge to any person any information relating to the services, the project or the client including information in respect of payments.


 Asstt. Director General (Admin.)
 Indian Council of Forestry
 Research & Education
 P.O. New Forest, Dehradun

- iv) All reports, notes and other documents and data compiled or made by the consultant while performing the services shall be the property of the client and upon termination of the engagement shall be disposed of as the client shall direct. The consultant may retain copies of such documents.
- v) No legal proceedings to enforce any claim and no suit arising out of this contract shall be instituted except in a court of competent jurisdiction over Dehradun, Uttarakhand.
- vi) Commencement of Assignment shall be within (7) seven days from the date of acceptance of offer.
- vii) The Asstt. Director General (Admin), ICFRE, Dehradun reserves the right without assigning any reasons thereof, to :
 - a) Accept or reject whole or any part of an offer
 - b) Reject any or all offers partly or wholly,
 - c) Cancel or withdraw the Tender notice
 - d) Accept or reject any deviations from these conditions

N.B. : The Asstt. Director General (Admin), ICFRE, Dehradun is not bound to accept the lowest Tender or lowest part of any Tender.

5) TERMS OF REFERENCE

The key deliverables that will be provided to the client are listed below:

- a) To identify core supporting processes, mapping of As Is process, their analysis and their re-engineering
- b) To re-engineer the existing organizational structure, function with regard to stake holder's expectation, fast-changing requirements & recommend a suitable modification in the structure including broad functional divisions in order to meet council's long-term goals.
- c) To re-engineer the present set of core and support processes and redesign it to meet the expectations of various stakeholders.
- d) To re-engineer the HR process with a view to develop and manage human resources planning, policies, and strategies. HR planning includes assessing the strength of human resource and suggest for staffing norms at different levels.
- e) To Re-engineer key priority functions like managing of financial resources, administration and resource management, research project portfolio management, revenue generation through developing and managing products and service.
- f) To prepare a roadmap to make ICFRE as a self-sustainable over a period after a detailed study of the best practices from similar national and international research organizations.
- g) The entire activity shall be led by a team from ICFRE that shall be trained to handle the BPR activities by the consultant. The report

shall be submitted within six months and upon acceptance, the capacity building of the ICFRE team shall be done by the consultant.

- h) The consultant is expected to do limited hand holding for a period of two years after the work is over to see a smooth re-engineering of the process.

Qualifications of the Consulting Organisation

1. Essentially be a management institute of repute, involved in conducting research , training programmes and courses
2. Have experience in BPR activities.

6) PAYMENT TERMS

- a) All payments to the successful Bidder shall be made by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun upon submission of invoices along with the deliverable relating to this assignment and acceptance of the deliverables by Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE), Dehradun.
- b) The Consulting organisation will be paid the entire amount of the bid accepted by ICFRE in three instalments:
- i. 1st instalment 30% of the amount will be paid on submission of interim report dealing with the analysis of different aspect of the organisation analysis of which is required to make organisation sustainable.
 - ii. 2nd instalment of 30% of the amount will be paid on submission of the recommendation by the consulting organisation.
 - iii. Final instalment of 40% will be paid on submission of final report
- c) No claim on account of any other taxes and duties presently in force for the services / material used for execution of the work awarded under the contract, will be entertained and all such taxes and duties shall be borne by the consultant himself.
- d) The ICFRE shall deduct such taxes, duties and any other statutory levies imposed by the Government on such charges as may arise from the implementation of the contract agreement.
- e) The payment is subject to TDS as per Income Tax Rules / Laws.



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun


7) **DISQUALIFICATIONS**

Without prejudice, the tenderer may be disqualified and its tender may be dropped from further consideration for any of the reasons listed below:

- i) Material misrepresentation by such agency in the tender document.
- ii) Failure by such agency to provide the information required herein.
- iii) Non-submission of Earnest Money Deposit (EMD) of Rs 10,000/- (Rupees Ten thousand only)

8) **ARBITRATION**

- i) Except where otherwise provided in the contract all questions and disputes whatsoever in any way arising out of or relating to the contract or otherwise concerning the work or the execution or failure to execute the same whether arising during the progress of the consultancy or after the completion or abandonment thereof shall be referred to the sole arbitration of the person appointed by the Director General, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun on his behalf at the time of dispute. There will be no objection to any such appointment that the arbitrator so appointed is an employee of ICFRE, or government servant or that he had to deal with the matters to which the contract relates or that in the course of his duties as employee of ICFRE, or government servant, he had expressed views on all or any of the matters in dispute of differences. The arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to act for any reason shall be replaced by another person as decided by Director General, ICFRE, to act as arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. It shall also be a term of the contract that no person other than a person appointed by the Director General, ICFRE should act as arbitrator and if for any reason, that is not possible, the matter is not to be referred to arbitration at all. In all cases where the amount of the claim in dispute is Rs. 50,000/- and above, the arbitrator shall give reasons for the award.
- ii) Subject as aforesaid, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 or any statutory modifications or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to the arbitration proceeding under this clause.
- iii) Services under the contract shall, notwithstanding the existence of any such dispute, question or controversy, continue during arbitration proceedings and no payment, due or payable by ICFRE or the firm shall be withheld on account of such proceedings unless such payments are the direct subject of the arbitration. Reference to arbitration shall be a condition precedent to any other action at law.



- iv) This Clause will survive the termination or expiry of this Agreement.

9) **FORCE MAJEURE**

- a) The performance of the obligations of either party under this Agreement is subject to Force Majeure.
- b) If a Force Majeure situation arises, either party shall promptly notify to the other party in writing of such conditions and the cause thereof. Unless otherwise directed by ICFRE in writing, the vendor shall continue to perform its obligations under this agreement, as far as it is reasonably practical. Either party reserves the right to terminate this contract, without any additional liabilities to either party, if the Force Majeure period continues for more than 90 (Ninety days).

10) **PREPARATION AND SUBMISSION OF PROPOSAL**

Online tender is to be submitted under two bid systems i.e. **Cover 1, and Cover 2**. All the pages of bid being submitted online must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

(a) **Cover1: Technical Bid**

Technical documents should be uploaded in CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>). The following documents are to be furnished by the Tenderer/Bidder, as Technical bid, as signed and scanned copy in pdf format upload in CPP portal.

- i) Earnest Money Deposit (EMD) of Rs 10,000/- (Rupees Ten Thousand)
- ii) Audited financial statements (reflecting overall turnover and the turnover specific to software and software related services) for the past three financial years and other satisfactory evidences such as authorized signatory, auditors certificate etc.
- iii) Project description, with budget, dates, and project completion certificates and references names of concerned officials and financial value of the projects performed.
- iv) A detailed description of the organisation in **Form 2**.
- v) The composition of the proposed team of professional, the task, which would be assigned to each duration of their engagement.
- vi) Curriculum Vitae (C.V.) of proposed key professional. Key information should include: duration with the firm, and degree of responsibility held in various similar assignments during the **last 2 (two) years; (Form 1)**
- vii) The bid proposal sheet in the **Form 4**.


Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

- viii) The bidding organisation must possess atleast 5 years experience of working on Business Process Re-engineering of an organizations. Enclose copies of the supportive documents.
- ix) The bidding firm must submit a methodology for the execution of this consultancy. The bidders may visit the ICFRE between 9.30 AM to 5.00 PM on all working days before the last date of submission of the tender, if required. The firm shall raise a formal request addressed to ADG (Admin) for the purpose.

(b) **Cover 2: Financial Bid**

- i. The financial proposal must be submitted in the Schedule of financial bid in the form of BoQ2.xls. Full details of business terms and conditions, e.g. taxes, levies, octori etc., if any other information relevant to the services may please be indicated clearly.
- ii. Provision of TDS will be made as per Income Tax Rules. The proposal must contain no interlineations or overwriting except as necessary to correct errors made by the concerned themselves, in which cases such corrections must be initialled by the person or persons authorised to sign the proposal. Completed proposal must be submitted mandatorily online at <https://eprocure.gov.in> (the Central Public Procurement Portal) after going through the terms and conditions given thereof.

11) **PROPOSAL EVALUATION**

The evaluation of the proposals will be made following the proceedings as below:

- (i) **Qualifying round** - The list of documents enclosed in Technical proposal shall be checked and once all the relevant documents are submitted by the firm, the firm qualify.
- (iii) **Financial evaluation** - Once the firm qualified, the financial bid shall be opened. The firm with the quoted amount L1 shall be declared as final qualified firm.


Assistant Director General (Admin)

Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

ICFRE

FORM 1

PARTICULARS OF THE CONSULTANT

1. Name of the consultant/ Organization : _____
2. Head / Regd. Office Address : _____
 - a) Postal : _____
 - b) Fax. No. : _____
 - c) Telephone No.s (s) : _____
 - d) E-mail Address : _____
 - e) Website Address : _____
3. Former name of consultant/(if any): _____
Organization
4. Dehradun Office Address , if any : _____
 - a) Postal : _____
 - b) Fax. No. : _____
 - c) Telephone No.s (s) : _____
 - d) E-mail Address : _____
5. Type of Organization : Individual / Partnership / Incorporated
6. (i) Year of establishment : _____
7. Amount of EMD deposited
 - a) Bank Draft No. : _____
 - b) Bank Detail : _____
 - c) Amount : _____
8. Name and address of the authorized signatory / contact person for this Quotation : _____
9. Whether letter of Authority for attending bid opening enclosed with Quotation ? : _____
10. Whether PAN certificate attached ? : _____
11. GST Regn. No of Organization : _____

Signature of Bidder
Name
Office Seal

Date :
Place :

FORM 2

FORMAT OF CURRICULUM VITAE (C.V.)
OF PROPOSED KEY PROFESSIONAL

Designation :
Name of Organization:
Name of Key Professional :.....
Date of Birth :
Years with Firm : Nationality :
Membership of Professional Societies:

Details of Tasks Assigned :

Key Qualifications :

(Give an outline of staff member's experience and training most pertinent to task on assignment. Describe degree of responsibility held by staff member on relevant previous assignments and give dates and locations. Use up to half of a page).

Technical qualification :

(Summarize specialized qualification of staff member, giving names of institutes organisations, attended and degrees, diploma, certificates obtained. Use up to quarter page).

Employment Record :

(Starting with present position, list in reverse order, every employment held. List all positions held by staff member since graduation, giving dates, names of employing organization, title of positions held and location of assignments. For experience in last ten years, also give types of activities performed and client references, where appropriate. Use up to three quarters of a page).

Signature of the proposed key professional be duly attested by the Consultancy Organisation.

FORM 3

BID PROPOSAL SHEET

Tenderer's Proposal Reference No. & Date: _____
Tenderer's Name & Address: _____
Person to be contacted: _____
Designation: _____
Telephone No. E-mail: Fax No: _____

To:

**The Assistant Director General (Admin)
Indian Council of Forestry Research & Education
P.O New Forest, Dehradun - 248006**

**Sub: Tender document for consultancy on business process re engineering of
ICFRE**

Dear Sir,

1. We, the undersigned Tenderer(s), having read and examined in detail the bidding documents in respect of the above cited maintenance contracts as specified in the tender document.
2. All the prices mentioned in our proposal are in accordance with the terms as specified in the tender document. All the prices and other terms and conditions of this proposal are valid for a period of 6 (six) months from the last date of submission of bids.
3. We do hereby confirm that our bid prices include all taxes including Income Tax, GST etc.
4. We have studied the Clauses relating to the tax laws of India and hereby declare that if the rates of any Tax are enhanced under the law, we shall pay the same.
5. We have enclosed the Earnest Money Deposit (EMD) in the Form of Bank draft amounting to Rs 10,000/- (Rupees Ten thousand only).
6. We further declare that the prices stated in our proposal are in accordance with your terms & conditions in the bidding document.
7. We confirm having submitted qualifying data as required by you in your tender document. In case you require any further information /documentary proof in this regard before evaluation of our bid, we agree to furnish the same in time to your satisfaction.
8. We hereby declare that our proposal is made in good faith, and the information contained in the proposal is true and correct to the best of our knowledge & belief.

9. Bid submitted by us is properly prepared so as to prevent any subsequent alteration and replacement.
10. We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive or to place part order or to reject any bid or to cancel the tender without assigning reason whatsoever.

Yours sincerely,

(Signature)

Date:

Name:

Place:

Designation:

Business Address: Seal

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION

(पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous body under the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India)

पो० ऑ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड)

P.O. New Forest, DEHRA DUN – 248 006 (Uttarakhand)



निविदा दस्तावेज संख्या 6-65/एफ /स्टेट /भा.वा.अ.शि.प. / 2018-19

दिनांक 08.06.2018

“ई निविदा के लिए भा.वा.अ.शि.प. के बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग पर
कंसल्टेंसी”

निविदा दस्तावेज आईसीएफआरई वेबसाइट <http://icfre.gov.in> (केवल संदर्भ
के लिए) और सीपीपीपी साइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से
निविदा महत्वपूर्ण तारीख पत्र में दिए गए अनुसूची के अनुसार डाउनलोड किया
जा सकता है।



विवरण

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा अनुसूची	2
2.	बोलीदाताओं को निर्देश	2
3.	कार्य का दायरा	3
4.	नियम और शर्तें	6
5.	संदर्भ की शर्तें	11
6.	भुगतान शर्तें	13
7.	निरर्हताओं	14
8.	मध्यस्थता	15
9.	अप्रत्याशित धटना	17
10.	प्रस्ताव की तैयारी और जमा करना	17
11.	प्रस्ताव मूल्यांकन	20
12.	फॉर्म 1 - परामर्शदाता के विवरण	21
13.	फॉर्म 2 - पाठ्यचर्या विटा (सीवी) का प्रारूप प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों	23
14.	फॉर्म 3- बोली प्रस्ताव पत्रक	25

Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun


1) निविदा अनुसूची

घटनाक्रम	महत्वपूर्ण तारीख/ समय	स्थान
प्रकाशित तिथि	दिनांक 08.06.2018 4:00 अपराह्न	आईसीएफआरई वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल
बोली दस्तावेज डाउनलोड / बिक्री की शुरुआत	दिनांक 09.06.2018 4:00 अपराह्न	केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी)
बोली जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 09.06.2018 4:00 अपराह्न	सीपीपी पोर्टल
बोली जमा करने की अन्तिम तिथि	02.07.2018 2:30 अपराह्न	सीपीपी पोर्टल
तकनीकी बोलियों की खुली तारीख	03.07.2018 3:00 अपराह्न	ऑनलाइन
वित्तीय बोली खोलना	तय किया जाना है	ऑनलाइन

निविदा को सहायक महानिदेशक (प्रशासन), भा.वा.अ.शि.प. विवेक के विवेकानुसार संशोधित या किसी भी कारण के बिना रद्द किया जा सकता है।

2) बोलीदाताओं को निर्देश

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.), देहरादून, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक स्वायत्त परिषद्, सरकार। भारत के भा.वा.अ.शि.प के बिजनेस



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

प्रोसेस आरई इंजीनियरिंग पर परामर्श के लिए सलाहकारों (बाद में 'एजेंसियां' के रूप में संदर्भित) से ई-निविदा आमंत्रित करता है।

1. परामर्शदाता तकनीकी मूल्यांकन के लिए आवश्यक जानकारी जमा करेगा।
2. परामर्शदाता देहरादून में देय खाता अधिकारी, आईसीएफआरई, देहरादून के नाम पर तैयार रुपये 10,000.00 (केवल रुपये दस हजार) के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में गैर-वापसी योग्य कमाई मनी जमा (ईएमडी) जमा करेगा।
3. परामर्शदाता कार्य के दायरे के अनुसार परामर्श प्रदान करने के लिए बोली मूल्य प्रस्तुत करेगा।

3) कार्य का दायरा

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) की स्थापना 1986 में पूर्व एफआरआई और कॉलेजों के पुनर्गठन के बाद की गई थी। इसके बाद, 1991 में, आईसीएफआरई को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक समाज के रूप में पंजीकृत स्वायत्त निकाय घोषित किया गया था। यह एक शीर्ष है राष्ट्रीय स्तर पर शरीर और वानिकी के सभी पहलुओं को कवर करने, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की आवश्यकता आधारित योजना, प्रचार, संचालन और समन्वय के माध्यम से वानिकी अनुसंधान के समग्र विकास


Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun


का कार्य कर रहा है। परिषद इस क्षेत्र में उभरते मुद्दों के साथ समाधान आधारित वानिकी अनुसंधान से संबंधित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण, मरुस्थलीकरण और टिकाऊ प्रबंधन और संसाधनों के विकास जैसे वैश्विक चिंताओं सहित वैश्विक चिंताएं शामिल हैं। देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों की शोध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आईसीएफआरई के पास निम्नलिखित 9 शोध संस्थान हैं और पूरे देश में पांच केंद्र निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	संस्थान	केंद्र
१.	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (यूके)	सीएसएफआरई, इलाहाबाद (यूपी)
२.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (एमपी)	सीएफआरएचआरडी, छिंदवाड़ा
३.	वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट (असम)	सीएफएलई, त्रिपुरा एआरसीबीआर, ऐजोल
४.	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)	
५.	वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेंगलूर इंस्टिट्यूट	
६.	वन आनुवांशिक और वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयंबटूर	

७.	हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, शिमला (एचपी)	
८.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	
९.	वन जैव विविधता संस्थान, हैदराबाद	डब्ल्यूबीसी, विशाखापत्तनम

सामान्य वित्तीय नियम -2005 (जीएफआर -2005) के तहत नियम -208 के तहत, स्वायत्त संगठन की बाह्य या सहकर्मि समीक्षा की प्रणाली, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर हर तीन या पांच वर्षों में एक संरचित फोकस के साथ रखा जाना चाहिए। जीएफआर में निहित निर्देशों के अनुपालन में, आईसीएफआरई ने वर्ष 2016-17 के दौरान आईआईएम काशीपुर के माध्यम से अपनी प्रदर्शन समीक्षा की। आईआईएम काशीपुर की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफ और सीसी नई दिल्ली ने आईसीएफआरई के बिजनेस री-इंजीनियरिंग को खुद को टिकाऊ बनाने के निर्देश दिए।

बिजनेस प्रोसेस रीजेंजिनियरिंग अध्ययन में मौजूदा वर्कफ्लो का विश्लेषण और आईसीएफआरई के संगठनों / इकाइयों / विभागों / अनुभागों के बीच और उसके बीच प्रक्रिया शामिल होगी। यह आईसीएफआरई (हेड क्वार्टर) और 9 अनुसंधान संस्थानों और पांच क्षेत्रीय केंद्रों के लिए किया जाएगा। काम के व्यापक दायरे में निम्नलिखित डिलिवरेबल्स उपलब्ध होंगे:


 Asstt. Director General (Admin.)
 Indian Council of Forestry
 Research & Education
 P.O. New Forest, Dehradun

ए) मुख्य एवं समर्थन प्रक्रिया की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं चपलता में सुधार के लिए संगठनों/विभागों के अंदर/बीच विश्लेषण कर वर्कफलों को डिज़ाइन/री-डिज़ाइन करना।

बी) पुनर्गठन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से, आईसीएफआरई को एक अवधि में आत्म-टिकाऊ बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना।

4) नियम और शर्तें

परिभाषाएं

इन परिस्थितियों में और अनुबंध में, जब तक कि एक विपरीत इरादा प्रकट नहीं होता है:

"ग्राहक" का अर्थ है भारतीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)

"परामर्शदाता" का अर्थ अनुबंध के ज्ञापन में "परामर्शदाता" के रूप में जाना जाता है।

"समझौते के ज्ञापन" का अर्थ क्लाइंट और परामर्शदाता द्वारा और उसके बीच निष्पादित अनुबंध है जिसमें इन शर्तों को संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है।

"अनुबंध" का मतलब समझौते के ज्ञापन का अर्थ है इन शर्तों और अन्य सभी अनुसूची और दस्तावेजों, यदि कोई है, तो समझौते के ज्ञापन से जुड़ा हुआ है या इसमें शामिल है

Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

और पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध का हिस्सा बनने का इरादा है।

"सेवाओं" का मतलब समझौते के ज्ञापन में "सेवा" के रूप में नामित परामर्शदाता के कर्तव्यों का अर्थ है।

"असाइनमेंट की अवधि" का मतलब समझौते के ज्ञापन में "संदर्भ की शर्तों" के रूप में संदर्भित कर्तव्यों का अनुसूची है।

"परियोजना" का अर्थ इस परियोजना का नाम है जो समझौते के ज्ञापन में नामित है।


"समझौते की अवधि" का मतलब समझौते के ज्ञापन में "समझौते की शर्तों" के रूप में जाना जाता है।

ए विशिष्ट नियम और शर्तें


ऑनलाइन निविदा दो बोली प्रणालियों के तहत प्रस्तुत की जानी है, यानी कवर 1, और कवर 2. ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाने और अपलोड करने से पहले दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति के बावजूद बोलीदाता द्वारा अनुक्रमित किया जाना चाहिए।

फैक्स / ईमेल / ऑफ़लाइन द्वारा प्रस्तुत ऑफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता यह भी ध्यान रखेगा कि: -

i) बोली की स्वीकृति सफल बोलीदाता को स्वीकृति के औपचारिक पत्र द्वारा सूचित की जाएगी।


Asst. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun


- ii) सफल बोली लगाने वाले को रुपये के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। 100 / - बोली की स्वीकृति के संबंध में संचार प्राप्त करने के 10 (दस) दिनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा।
- iii) सफल बोलीदाता अनुबंध के पुरस्कार की तारीख के 10 (दस) दिनों के भीतर स्वीकृति का प्रमाणपत्र जमा करेगा।
- iv) उद्धृत कीमतों में विसंगति के मामले में शब्दों में लिखी गई कीमत को वैध के रूप में लिया जाएगा। ।
- v) किसी बोलीदाता की शॉर्ट-लिस्टिंग किसी भी बोलीदाता पर कोई अधिकार नहीं देती है, इसका मतलब केवल यह है कि प्रस्तावित प्रस्ताव विचाराधीन है।
- vi) बोली जमा करते समय, बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज में बताए गए सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने, समझने और स्वीकार करने के लिए समझा जाएगा।
- vii) बोलीदाता संगठन / कार्यालय का पूरा पता इंगित करेगा और संपर्क व्यक्ति (ओं) और उसके (उनके) टेलीफोन / फैक्स / मोबाइल नंबर (ओं) के नाम और अन्य विवरणों के साथ काम करेगा। फॉर्म 3 पर Proforma।
- viii) बोलीदाता वित्तीय बोली के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उद्धृत मूल्य पूर्ण और अंतिम हैं और हर चीज वित्तीय बोली में शामिल की गई है। वित्तीय प्रस्ताव में भूमि के नियमों के अनुसार सभी ओवरहेड व्यय और कर शामिल होना चाहिए।


 Asstt. Director General (Admin.)
 Indian Council of Forestry
 Research & Education
 P.O. New Forest, Dehradun

- ix) प्रस्ताव निविदा खोलने की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए मान्य होगा।
- x) महानिदेशक, आईसीएफआरई सलाहकार के काम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक अनुबंध समीक्षा समिति (सीआरसी) का गठन करेगा।
- xi) परामर्शदाता परामर्श की शुरुआत से पहले डिलिवरेबल्स के साथ एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगा।
- xii) सशर्त निविदाएं खारिज कर दी जा सकती हैं।
- xiii) किसी भी विवाद के मामले में, महानिदेशक, आईसीएफआरई इस मुद्दे का फैसला करेंगे और उनका निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बी सामान्य नियम और शर्तें

- i) समझौते की अवधि के दौरान, सलाहकार परियोजना टीम सेवाओं के प्रदर्शन पर अपना पूरा समय और ध्यान समर्पित करेगी और हर समय उचित परिश्रम और दक्षता और संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी।
- ii) हर समय, सलाहकार उचित स्वामित्व और विवेकाधिकार के साथ कार्य करेगा और विशेष रूप से ग्राहक के पूर्व अनुमोदन के बिना परियोजना या सेवाओं से संबंधित कोई सार्वजनिक बयान देने से बचना होगा और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से बचना होगा।
- iii) आईसीएफआरई की लिखित सहमति के अलावा, सलाहकार किसी भी व्यक्ति को सेवाओं, परियोजना या


 Asstt. Director General (Admin.)
 Indian Council of Forestry
 Research & Education
 P.O. New Forest, Dehradun

ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी को भुगतान के संबंध में जानकारी सहित प्रकट नहीं करेगा।

- iv) सेवाएं करने के दौरान सलाहकार द्वारा संकलित या किए गए सभी रिपोर्ट, नोट्स और अन्य दस्तावेज और ग्राहक की संपत्ति होगी और जुड़ाव को समाप्त करने पर ग्राहक का निपटारा किया जाएगा। परामर्शदाता ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां बरकरार रख सकता है।
- v) किसी भी दावे को लागू करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है और इस अनुबंध से उत्पन्न कोई भी मुकदमा देहरादून, उत्तराखंड पर सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत को छोड़कर स्थापित किया जाएगा।
- vi) सौंपे गए कार्य की शुरुआत प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से सात दिनों के भीतर होगी।
- vii) सहायक। महानिदेशक (प्रशासन), आईसीएफआरई, देहरादून बिना किसी कारण बताए यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि:
- ए) प्रस्ताव के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार या अस्वीकार करें
- बी) आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करें,
- सी) निविदा सूचना रद्द करें या निकालें
- डी) इन शर्तों से किसी भी विचलन को स्वीकार या अस्वीकार करें




N.B. : सहायक महानिदेशक (प्रशासन), आईसीएफआरई, देहरादून किसी भी निविदा के निम्न निविदा या निम्नतम हिस्से को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

5) संदर्भ के नियम

क्लाइंट को प्रदान किए जाने वाले प्रमुख डिलिवरेबल्स नीचे सूचीबद्ध हैं:

- ए) कोर सहायक प्रक्रियाओं की पहचान करने के लिए, प्रक्रिया के रूप में मैपिंग, उनके विश्लेषण और उनके पुनः इंजीनियरिंग
- बी) मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को फिर से इंजीनियर करने के लिए, हितधारक की अपेक्षाओं के संबंध में कार्य, तेजी से बदलती आवश्यकताओं और परिषद के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यापक कार्यात्मक विभाजन सहित संरचना में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश करें।
- सी) कोर और समर्थन प्रक्रियाओं के वर्तमान सेट को फिर से इंजीनियर करने और विभिन्न हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसे फिर से डिजाइन करने के लिए।
- डी) मानव संसाधन योजना, नीतियों और रणनीतियों को विकसित और प्रबंधित करने के दृष्टिकोण के साथ एचआर प्रक्रिया को फिर से इंजीनियर करने के लिए। मानव संसाधन योजना में मानव संसाधन की ताकत का आकलन


Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

करना और विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के मानदंडों के लिए सुझाव देना शामिल है।

- ई) वित्तीय संसाधनों, प्रशासन और संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान परियोजना पोर्टफोलियो प्रबंधन, उत्पादों और सेवाओं के विकास और प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पादन जैसे प्रबंधन के प्रमुख प्राथमिक कार्यों को पुनः इंजीनियर करना।
- च) इसी तरह के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध संगठनों के सर्वोत्तम अभ्यासों के विस्तृत अध्ययन के बाद आईसीएफआरई को आत्म-टिकाऊ बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
- जी) पूरी गतिविधि आईसीएफआरई की एक टीम के नेतृत्व में की जाएगी जिसे परामर्शदाता द्वारा बीपीआर गतिविधियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। रिपोर्ट छह महीने के भीतर जमा की जाएगी और स्वीकृति पर, आईसीएफआरई टीम का क्षमता निर्माण परामर्शदाता द्वारा की जाएगी।
- एच) सलाहकार पुनः इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को सुचारु से लागु होने के लिए कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात दो वर्ष तक समर्थन देगा।



Director General (Admin)
Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

परामर्श संगठन की योग्यता

1. अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठा प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आयोजित करने में शामिल हैं
 2. बीपीआर गतिविधियों में अनुभव है।
- 6) भुगतान शर्तें
- ए) सफल बोलीदाता को सभी भुगतान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई), देहरादून द्वारा इस असाइनमेंट से संबंधित डिलिवरी के साथ चालान जमा करने और भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा डिलिवरेबल्स की स्वीकृति के बाद किया जाएगा। (आईसीएफआरई), देहरादून।
- बी) परामर्श संगठन को तीन किशतों में आईसीएफआरई द्वारा स्वीकार की गई बोली की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा:
- i। पहली किस्त संगठन का विश्लेषण करने के लिए जरूरी है कि संगठन विश्लेषण के विभिन्न पहलू के विश्लेषण से निपटने वाली अंतरिम रिपोर्ट जमा करने पर राशि का 30% भुगतान किया जाएगा।
 - ii। परामर्श संगठन द्वारा सिफारिश जमा करने पर राशि का 30% की दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा।




Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

- iiii) अंतिम रिपोर्ट जमा करने पर 40% की अंतिम किश्त का भुगतान किया जाएगा
- सी) अनुबंध के तहत दिए गए काम के निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं / सामग्री के लिए वर्तमान में लागू किसी अन्य कर और कर्तव्यों के कारण कोई दावा नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी कर और कर्तव्यों को परामर्शदाता द्वारा स्वयं ही लिया जाएगा।
- डी) आईसीएफआरई अनुबंध समझौते के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले आरोपों पर सरकार द्वारा लगाए गए ऐसे कर, कर्तव्यों और किसी अन्य वैधानिक लेवी को घटाएगा।
- ई) आयकर नियम / कानून के अनुसार भुगतान टीडीएस के अधीन है।

7) निरर्हताओं

पूर्वाग्रह के बिना, निविदाकार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और नीचे सूचीबद्ध किसी भी कारण से इसके निविदा को आगे विचार से हटा दिया जा सकता है:


- i) निविदा दस्तावेज में ऐसी एजेंसी द्वारा सामग्री गलतफहमी।
- ii) ऐसी एजेंसी द्वारा यहां आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफलता।
- iii) 10,000 / - रुपये (केवल दस हजार रुपए) के कम से कम धरोहर राशि (ईएमडी) जमा नहीं करना



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

8) मध्यस्थता

- i) अनुबंध में अन्यथा किसी भी तरह से अनुबंध से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी तरह से या अन्यथा कार्य या निष्पादन या निष्पादन या परामर्श की प्रगति के दौरान या उसके बाद निष्पादित करने में विफलता के संबंध में अनुबंध में दिए गए सभी प्रश्नों और विवादों को छोड़कर पूरा होने या त्याग के विवाद के समय उनकी तरफ से दिग्गजुन के भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् महानिदेशक, द्वारा नियुक्त व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ को नियुक्त करने वाला मध्यस्थ आईसीएफआरई या सरकारी कर्मचारी का कर्मचारी है या उसे उन मामलों से निपटना पड़ा जिनके लिए अनुबंध संबंधित है या आईसीएफआरई के कर्मचारी के रूप में उनके कर्तव्यों के दौरान, या सरकारी कर्मचारी, उन्होंने मतभेदों के विवाद में सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। जिस मध्यस्थ को मूल रूप से संदर्भित किया जाता है उसे अपने कार्यालय को स्थानांतरित या खाली करने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने के कारण अनुबंध के नियमों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए महानिदेशक, आईसीएफआरई द्वारा तय किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस तरह के व्यक्ति उस मंच से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने के



Assistant Director (Legal Services)
National Council of Educational Research and Training
New Delhi

हकदार होंगे जिस पर उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। यह अनुबंध का एक शब्द भी होगा कि महानिदेशक, आईसीएफआरई द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी भी कारण से यह संभव नहीं है, तो मामला मध्यस्थता को संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। सभी मामलों में जहां विवाद में दावा की राशि रुपये है। 50,000/- और उससे ऊपर, मध्यस्थ पुरस्कार के कारण बताएगा।

- ii) उपरोक्त के रूप में विषय, मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 या किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान और लागू होने वाले समय के तहत बनाए गए नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।
- iii) इस तरह के विवाद, प्रश्न या विवाद के अस्तित्व के बावजूद अनुबंध के तहत सेवाएं, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेंगी और आईसीएफआरई द्वारा देय या देय कोई भुगतान नहीं होगा या फर्म को ऐसी कार्यवाही के कारण रोक दिया जाएगा जब तक कि ऐसे भुगतान सीधे नहीं होते मध्यस्थता का विषय। मध्यस्थता का संदर्भ कानून में किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए एक शर्त उदाहरण होगा।
- iv) यह खंड इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएगा।



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Dehradun

9) अप्रत्याशित धटना/(Force Majeure)

ए) इस समझौते के तहत किसी भी पार्टी के दायित्वों का प्रदर्शन किसी अप्रत्याशित धटना की दशा के अनुरूप होगा।

बी) यदि किसी अप्रत्याशित धटना स्थिति उत्पन्न होती है, तो कोई भी पार्टी तत्काल अन्य शर्तों को ऐसी शर्तों और उसके कारणों के लिखित रूप में सूचित करेगी। जब तक अन्यथा आईसीएफआरई द्वारा लिखित में निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक विक्रेता इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को जारी रखेगा, जहां तक यह व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक है। यदि अप्रत्याशित धटना नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है तो दोनों पार्टी बिना किसी देयता के अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।

10) प्रस्ताव की तैयारी और सबमिशन

ऑनलाइन निविदा दो बोली प्रणालियों के तहत प्रस्तुत की जानी है, यानी कवर 1, और कवर 2. ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाने और अपलोड करने से पहले दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति के बावजूद बोलीदाता द्वारा अनुक्रमित किया जाना चाहिए।

(ए) कवर 1: तकनीकी बोली

तकनीकी दस्तावेज सीपीपीपी वेबसाइट में अपलोड किए जाने चाहिए: <https://eprocure.gov.in/eprocure>



/ऐप्स)। निम्नलिखित दस्तावेज निविदाकार / बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं, जैसा कि सीपीपी पोर्टल में अपलोड किए गए पीडीएफ प्रारूप में हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतिलिपि है।

- i) 10,000/- रुपये (रुपये दस हजार रुपये) की कमाई धरोहर राशि ईएमडी)
- ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लेखा परीक्षकों प्रमाण पत्र जैसे अन्य संतोषजनक साक्ष्य के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (समग्र कारोबार और सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाओं के लिए विशिष्ट कारोबार) को दर्शाता है।
- iii) परियोजना विवरण, बजट, तिथियां, और परियोजना समापन प्रमाणपत्र और संबंधित अधिकारियों के संदर्भ नाम और परियोजनाओं के वित्तीय मूल्य के संदर्भ में।
- iv) फॉर्म 2 में संगठन का एक विस्तृत विवरण।
- v) पेशेवरों के कार्य की प्रस्तावित टीम की रचना, जिसे उनकी नियुक्ति की प्रत्येक अवधि के लिए आवंटित किया जाएगा।
- vi) प्रस्तावित प्रमुख पेशेवर के पाठ्यचर्या वीटा (सीवी)। मुख्य जानकारी में शामिल होना चाहिए: फर्म के साथ अवधि, और पिछले 2 (दो) वर्षों के दौरान



विभिन्न समान असाइनमेंट में आयोजित जिम्मेदारी की डिग्री; (फॉर्म 1)

- vii) फॉर्म 4 में बोली प्रस्ताव पत्र।
- viii) बोली-प्रक्रिया संगठन को संगठनों की बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग पर काम करने के कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- ix) बोली-प्रक्रिया फर्म को इस परामर्श के निष्पादन के लिए एक पद्धति जमा करनी होगी। यदि आवश्यक हो तो निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले सभी कार्य दिवसों पर बोलीदाता आईसीएफआरई 9.30 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच जा सकते हैं। फर्म उद्देश्य के लिए एडीजी (एडमिन) को संबोधित औपचारिक अनुरोध उठाएगी।

(बी) कवर 2: वित्तीय बोली

- i। वित्तीय प्रस्ताव को BoQ2.xls के रूप में वित्तीय बोली की अनुसूची में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। व्यवसाय नियमों और शर्तों का पूरा विवरण, उदा। कर, लेवी, octori आदि, यदि सेवाओं के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी कृपया स्पष्ट रूप से संकेत दिया जा सकता है।
- ii। आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस का प्रावधान किया जाएगा।



Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. New Forest, Gehrardun

प्रस्ताव में खुद को संबंधित त्रुटियों को सही करने के लिए आवश्यकतानुसार कोई अंतराल या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, जिसमें मामलों में इस तरह के सुधारों को व्यक्ति या प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए। पूरा प्रस्ताव <https://eprocure.gov.in> (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल) पर दिए गए नियमों और शर्तों के माध्यम से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

11) प्रस्ताव मूल्यांकन

प्रस्तावों का मूल्यांकन नीचे की कार्यवाही के बाद किया जाएगा:

- (i) योग्यता दौर - तकनीकी प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों की सूची की जांच की जाएगी और एक बार फर्म द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद, फर्म अर्हता प्राप्त करेगी।
- (iii) वित्तीय मूल्यांकन - फर्म योग्य होने के बाद, वित्तीय बोली खोली जाएगी। उद्धृत राशि एल 1 के साथ फर्म को अंतिम योग्य फर्म के रूप में घोषित किया जाएगा।



सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

Asstt. Director General (Admin.)
Indian Council of Forestry
Research & Education
P.O. Forest, Dehradun

आईसीएफआरई

फॉर्म 1

कंसल्टेंट के विशेष

1. परामर्शदाता का नाम / : _____
संगठन
2. हेड / रजिड। कार्यालय का पता: _____
ए) डाक: _____
बी) फैक्स। नहीं।
सी) टेलीफोन नंबर: _____
डी) ई-मेल पता: _____
ई) वेबसाइट पता: _____
3. परामर्शदाता का पूर्व नाम / (यदि कोई है) : _____
संगठन
4. देहरादून कार्यालय का पता, यदि कोई है: _____
ए) डाक: _____
बी) फैक्स। नहीं।
सी) टेलीफोन नंबर: _____
डी) ई-मेल पता: _____
5. संगठन का प्रकार: व्यक्तिगत / साझेदारी / शामिल
6. (i) स्थापना का वर्ष: _____
7. ईएमडी जमा की राशि
ए) बैंक ड्राफ्ट संख्या: _____

- बी) बैंक विवरण: _____
- सी) राशि: _____
8. का नाम और पता: _____
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /
इस कोटेशन के लिए संपर्क व्यक्ति: _____
9. चाहे प्राधिकरण का पत्र: _____
बोली खोलने में भाग लेना
कोटेशन के साथ संलग्न?
10. क्या पैन प्रमाणपत्र संलग्न है?: _____
11. जीएसटी रेन। संगठन का नहीं: _____

बोलीदाता का हस्ताक्षर
नाम
कार्यालय मुहर

तारीख :
जगह :

फॉर्म 2

क्रूरिकुलम विटा (सीवी) का प्रारूप प्रस्तावित कुंजी पेशेवर का

पदनाम: _____

संगठन का नाम: _____

मुख्य पेशेवर का नाम: _____

जन्म की तारीख

फर्म के साथ वर्ष: _____ राष्ट्रीयता: _____

व्यावसायिक सोसाइटी की सदस्यता: _____

कार्य सौंपा गया विवरण: _____

प्रमुख योग्यताएं :

(कर्मचारी सदस्य के अनुभव की एक रूपरेखा दें और असाइनमेंट पर कार्य के लिए सबसे प्रासंगिक प्रशिक्षण दें। प्रासंगिक पिछले असाइनमेंट पर स्टाफ सदस्य द्वारा आयोजित जिम्मेदारी की डिग्री का वर्णन करें और तिथियां और स्थान दें। पृष्ठ के आधे तक का उपयोग करें)।

तकनीकी योग्यता:

(कर्मचारियों के सदस्यों की विशेष योग्यता का सारांश, संस्थान संगठनों के नाम, उपस्थित और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं। तिमाही पृष्ठ तक उपयोग करें)।

रोजगार रिकॉर्ड:

(वर्तमान स्थिति से शुरू, रिवर्स ऑर्डर में सूचीबद्ध, हर रोजगार। स्नातकोत्तर के बाद से स्टाफ सदस्य द्वारा आयोजित सभी पदों की सूची, तारीखों, नियोजित संगठनों के नाम, पदों का शीर्षक और असाइनमेंट का स्थान। पिछले दस वर्षों में अनुभव के लिए, निष्पादित गतिविधियों के प्रकार और ग्राहक संदर्भ, जहां उचित हो। पृष्ठ के तीन चौथाई तक का उपयोग करें)।

प्रस्तावित प्रमुख पेशेवर का हस्ताक्षर परामर्श संगठन द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए।

फॉर्म 3

बोली प्रस्ताव पत्र

निविदाकार का प्रस्ताव संदर्भ संख्या और दिनांक: _____

निविदाकार का नाम और पता: _____

संपर्क करने वाले व्यक्ति: _____

पदनाम: _____

टेलीफोन नंबर ई-मेल: फ़ैक्स संख्या: _____

सेवा मे:

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

भारतीय वाचिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

पीओ ओ वन वन, देहरादून - 248006

विषय: बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के परामर्श के लिए निविदा
दस्तावेज आईसीएफआरई

श्रीमान,

1. हम, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित उपरोक्त उद्धृत रखरखाव अनुबंधों के संबंध में बोली-प्रक्रिया दस्तावेजों को विस्तार से पढ़कर और जांच कर चुके हैं।

2. हमारे प्रस्ताव में उल्लिखित सभी कीमतें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हैं। इस प्रस्ताव की सभी कीमतें और अन्य नियम और शर्तें बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के लिए मान्य हैं।
3. हम इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि हमारी बोली कीमतों में आयकर, जीएसटी इत्यादि सहित सभी कर शामिल हैं।
4. हमने भारत के कर कानूनों से संबंधित खंडों का अध्ययन किया है और इस प्रकार घोषणा की है कि यदि कानून के तहत किसी भी कर की दरों में वृद्धि की जाती है, तो हम इसका भुगतान करेंगे।
5. हमने बैंक ड्राफ्ट के रूप में 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) के रूप में धरोहर राशि (ईएमडी) संलग्न किया है।
6. हम आगे यह घोषणा करते हैं कि हमारे प्रस्ताव में बताई गई कीमतें बोली-प्रक्रिया दस्तावेज में आपके नियम और शर्तों के अनुसार हैं।
7. हम आपके निविदा दस्तावेज में आपके द्वारा आवश्यक योग्यता डेटा जमा करने की पुष्टि करते हैं। यदि आपको हमारी बोली के मूल्यांकन से पहले इस संबंध में किसी और जानकारी/दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता है, तो हम समय पर आपकी संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।
8. हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि हमारा प्रस्ताव अच्छी भरोसे में किया गया है, और प्रस्ताव में निहित जानकारी हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम के लिए सही और सही है।

9. हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली उचित रूप से तैयार की जाती है ताकि किसी भी बाद में बदलाव और प्रतिस्थापन को रोका जा सके।
10. हम समझते हैं कि आप निम्नतम या किसी भी बोली को स्वीकार करने या भाग आदेश देने या किसी भी बोली को अस्वीकार करने या बिना किसी कारण बताए निविदा रद्द करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

सादर,

(हस्ताक्षर)

तिथि:

नाम:

स्थान:

पदनाम:

व्यापार पता:

सील